



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक - एस.एस.वि.वि./कु.सं. 1409/2021


दिनांक 23 जून, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्रांक-1114/सत्तर-4-2021 दिनांक 22 जून, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है।


अतः विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से सम्बन्धित प्रस्ताव कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रत्येक दशा में शासन को दिनांक 02.07.2021 तक उपलब्ध कराने हेतु शीघ्रतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।


कुलसचिव 23.06.21
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि उक्त सूचना से समस्त शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को उनके लॉगिन आई.डी. के माध्यम से सूचित कराने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
7. सहायक कुलसचिव, प्रशासन।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. सम्बद्ध पत्रावलीन


कुलसचिव 23.06.21
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2-कुलसचिव
समस्तर राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 22 जून, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत अनुदान अवमुक्त कि जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-803/सत्तर-4-2021, दिनांक 02.04.2021 क कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार सुसंगत प्रस्ताव तैयार कराकर दिनांक 31.05.2021 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु निर्धारित अन्तिम तिथि तक मात्र 06 विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है।

2- उक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से संबंधित प्रस्ताव सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत 15 दिनों के भीतर शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय
(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।